न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारीः श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 22/2017 ::

प्रार्थी :–

1. ईदाराम पुत्र नरसाजी
2. भंवरलाल पुत्र पन्नाजी
3. भुराराम पुत्र खेता जी
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहन जी
5. हिम्मताराम पुत्र भला जी
6. ताराराम पुत्र पोला जी
7. वरजु बाई पत्नि हिराजी
8. पोनी पत्नि भूला जी
9. उम्मेदराम पुत्र सका जी
10. सकाराम पुत्र बदाजी
11. चून्नी पत्नि रामलाल जी
12. कुकी पत्नि कांतीलाल जी
13. दिनेश पुत्र छोगाराम
14. पोनी पत्नि नारायण जी
15. टीपु पत्नि कपुराराम जी
16. मन्जुला पत्नि दिनेश
17. बाबूराम पुत्र हकमा जी
18. मेती देवी पत्नि रकबाराम
19. ऐजी देवी पत्नि हिम्मताराम
20. हीराराम पुत्र हीमताजी
21. नारायणलाल पुत्र गेना जी
22. जसाराम पुत्र समाजी
23. समाना पुत्र सोगाराम जी
24. कनीया पुत्र घीसाराम जी
25. चम्पादेवी पत्नि भुराराम
26. पुष्पा पत्नि मदनलाल
27. कनीया पुत्र मंछाराम
28. मांगीलाल पुत्र खुमा
29. नारायणलाल पुत्र राजाराम
30. पंकू पत्नि वागाराम
31. कलाराम पुत्र केशा
32. बगसाराम पुत्र जीवाजी
33. गणाराम पुत्र हीराजी
34. हिम्मताराम पुत्र मूला
35. गेजी पत्नि मगजी
36. बंसीलाल पुत्र हजारीराम
37. हिरालाल पुत्र रामाराम
38. सुकीदेवी
39. भूराराम पुत्र खेताराम
40. रामाराम पुत्र हीराजी
41. कपुराराम पुत्र केसा जी
42. कांतीलाल पुत्र मांगीलाल
43. इन्दाराम पुत्र दिपाजी
44. सोगाराम पुत्र समाजी
45. मंछाराम पुत्र मूलाजी
46. वरदाराम पुत्र कसना जी
47. भेराराम पुत्र सरूपजी
48. सकाराम पुत्र नेमाजी
49. मीठालाल पु हीमताजी निवासीगण मेघवालों का बास, कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रंगराज पुत्र मुलतान जी जाति जैन निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
2. पुनमसिंह पुत्र पीरसिंह राजपूत निवासी खीमाडा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
3. रेखा पत्नि राजेन्द्र कुमार सुथार निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

क्रमशः:2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 22.01.2018

प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, कोसेलाव के मिसल संख्या 05/1981—82, प्रस्ताव संख्या 5 (।।) दिनांक 02.11.1981 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 4 दिनांक 02.11.1981 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तारीख पेशी 05.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीण के विरूद्ध निगरानी आगे नहीं चलाने चाहते है। इसलिए प्रकरण Not Press में खारिज फरमावें। चूंकि निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत हो चुकी है एवं जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की पालना की गई है अथवा नहीं इस बाबत विचारण हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सूनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है कि ग्राम कोसेलाव के मेघवालों के बास के आम रास्ते के पास अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रस्ताव सं 5(।।) दिनांक 02.11.1981 लिया जाकर मिसल संख्या 5/1981—82 कायम कर पट्टा संख्या 4 दिनांक 02.11.1981 जारी किया गया। जिसको अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बेचान कर दिया गया है। इसे निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है कि पट्टा विधि के सिद्धान्तों के विपरीत पूर्ण संदेहास्पद कांट छांट कर बिना किसी विधिक कार्यवाही के किया गया है। जो खारीज योग्य है। पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया के संबंध में विधिक नियमों की पालना की जानी होती है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना के अभाव में नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही प्रतिपादित कर पट्टा जारी किया गया है। जिससे विधिक कार्यवाही के अभाव में पट्टा खारीज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि का होने के कारण पंचायत को विक्रय का अधिकार नहीं होने से भी खारीज योग्य है। उपरोक्त आधार पर निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा खारीज फरमावें। जैर निगरानी पट्टा भूमि पट्टाधारी रंगराज द्वारा पुष्पा पत्नि प्रकाश तथा रेखा पत्नि राजेन्द्र कुमार को जरिये रजिस्ट्री बेचाण कर दी गई है एवं पुष्पा पत्नि प्रकाश के द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 पूनमसिंह को बेचाण कर दिया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने पट्टे की भूमि के अतिरिक्त बनाप 30 X 80 फीट पंचायत की भूमि जो पट्टे से चिपती है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर सदियों पुराना रास्ता बंद कर दिया है। जिस कारण उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में जारी पट्टे के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रस्तुत निगरानी में पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे यह निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है। निगरानी 32 वर्षो पश्चात विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जिसका कोई यथेष्ठ कारण उल्लेखित नहीं किया है। इस कारण भी निगरानी खारीज योग्य है।

क्रमशः::3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जैर निगरानी पट्टे की भूमि को पट्टा गृहिता द्वारा पुष्पा पत्नि प्रकाश चौहान व रेखा पत्नि राजेन्द्र कुमार जातिगण सुथार को बेचाण कर दी है। जिस में से पुष्पा ने उक्त पट्टे के 1/2 हिस्से की भूमि का पुनमसिंह को कर दिया है। निगरानी में वर्तमान खरीददार पुनमसिंह व रेखा को तो पक्षकार बनाया गया है। लेकिन पुष्पा को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए भी निगरानी खारीज योग्य है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि का पट्टाधारी रंगराज पुत्र मुल्तानमल द्वारा वर्ष 2010 में ही पुष्पा व रेखा के हक में जरिये पंजीकृत दस्तावेज से बेचाण कर दिया गया है एवं पुष्पा द्वारा आगे पुनमसिंह पुत्र पीरसिंह जाति राजपूत को भी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के बेचाण कर दिया है। तीनों ही पंजीकृत विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय में निरस्त नहीं करवाया गया है। इस पट्टे को निरस्त करवाने की आड़ में पंजीकृत विक्रय पत्रों को खारीज कराया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत नहीं होने से पंचायत निगरानी खारीज योग्य है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि रास्ते की नहीं है। आबादी भूमि है। जिसके संबंध में पंचायत द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया है एवं जरिये रजिस्टर्ड बेचाण करने से वर्तमान खरीददार उक्त भूमि पर काबिज है। जैर निगरानी भूमि न तो रास्ता है न ही रास्ते के रूप में काम आ रही है। केवल मौखिक कथनो से रास्ते की भूमि नहीं मानी जा सकती है। जिससे निगरानी खारीज फरमाई जावें। निगरानीकर्ता द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि से चिपती भूमि बनाप 30 X 80 फीट पर अवैध रूप से कब्जा करने का कथन किया है। वह जैर निगरानी पट्टा भूमि से अलग है एवं इसके संबंध में पंचायत एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य विवाद है। जिसमें न्यायिक प्रकरण भी विचाराधीन है तथा उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB Civil Writ petition no. 508/2013 पुनमसिंह बनाम सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 में ताफैसला स्थगन आदेश जारी किया गया है। यह प्रकरण प्रस्तुत निगरानी से पृथक होने के कारण निगरानी में विचारण नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारीज फरमाई जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रस्तुत निगरानी एवं पंचायत द्वारा प्रेषित रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो विधि सम्मत नहीं है। निगरानी पट्टा जारी होने के 32 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई यथेष्ठ कारण उल्लेखित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि के विक्रय के रजिस्टर में बाद इंद्राज निलामी बोली लगाकर जरिये प्रस्ताव संख्या 5(।।) दिनांक 02.11.1981 पारित कर जारी किया गया है, जिसको 32 वर्षो तक किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं करने से जैर निगरानी पट्टे के संबंध में कानूनन यह अवधारणा की जा सकती है कि जैर निगरानी पट्टा विधिक प्रकिया अपनाकर सम्यक रूप से निस्पादित एवं अनुप्रमाणित किया गया है अथवा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उस पट्टे का सम्यक निस्पादन एवं अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है। इस प्रकार 30 वर्ष से भी अधिक पुराने जैर निगरानी पट्टे व उसके संबंध में अपनाई गई प्रकिया को इतनी लम्बी समयावधि के पश्चात कानूनन प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के पृष्ठ 3 के प्रारम्भ में यह उल्लेख किया गया है कि "अप्रार्थीगण का एक भूखण्ड मेघवालों के बास में आम रास्ते के पास स्थित है" अर्थात् रास्ते पर नहीं है। जिसका जैर निगरानी प्रस्ताव संख्यां 5(।।) दिनांक 02.11.1981 लिया जाकर पट्टा संख्या 4 दिनांक 02.11.1981 जारी किया गया हैं।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः:4

इस स्वीकारोक्ति एवं प्रस्ताव रजिस्टर में लिए गए प्रस्तावों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा विधि अनुसार पारित किया गया है। जैर निगरानी भूमि रास्ते की होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। प्रस्तुत निगरानी के पैरा नम्बर 3 में वर्णित आधार आज्ञापक प्रावधान राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 से संबंधित है। जबकि जैर निगरानी पट्टा 02.11.1981 को पंचायतीराज एक्ट 1953 के तहत जारी किया गया है। जिसका उल्लेख प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति में स्पष्ट है। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे के अलावा जिस भूमि पर अतिक्रमण करने का कथन कर रहे है। वह जैर निगरानी पट्टा भूमि नाप 80 X 100 से अलग भूखण्ड है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ रिट याचिका संख्या 508/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2016 को ताफैसला स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत पक्षकार है। जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। जैर निगरानी भूखण्ड का विक्रय विलेख रंगराज के हक में जारी किया था एवं रंगराज द्वारा जरिये पंजीकृत रजिस्ट्री के बेचाण कर दिया गया तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त भूखण्ड पर काबिज है। उक्त बेचाण वर्ष 2010 में किए गए जो पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचाण किए गए है एवं पंजीकृत बेचाणों को सिविल न्यायालय में निरस्त नहीं कराया गया है। जैर निगरानी पट्टे की आड में पंजीकृत विक्रय पत्रों को खारीज किया जाना नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा। जिस पर केता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज है। जैर निगरानी भूखण्ड के उतर व दक्षिण में रास्ते उपलब्ध है पश्चिम में भी रास्ता है। ऐसी स्थिति में एक और रास्ते की आड़ में जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना भी न्यायहित में नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा मिसल संख्या 05/1981–82, प्रस्ताव संख्या 5 (।।) दिनांक 02.11.1981 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 4 दिनांक 02.11.1981 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत कोसेलाव से प्राप्त मूल रेकर्ड प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली
पाली (राज.)